कार्यकारी परिषद की दिनांक 31 मार्च 2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न कंचनजंघा प्रबंधन खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में आयोजित 19वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो टी.बी.सुब्बा	-	अध्यक्ष
2.	श्री सोनाम बांगडी	-	सदस्य
3.	प्रो. एस.सी.सिंह	-	सदस्य
4.	डा. थॉमस चंडी	-	सदस्य
5.	प्रो. अशुम गुप्ता	-	सदस्य
6.	डा. आर आर राव	-	सदस्य
7.	प्रो. जे पी तामांग	-	सदस्य
8.	प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान	-	सदस्य
9.	डा. सुबीर मुखोपाध्याय	-	सदस्य
10.	डा. नवल किशोर पासवान	-	सदस्य
11.	डा. धनीराज छेत्री	-	सदस्य
12.	श्री डी कानुनज्ञ	-	विशेष आमंत्रित
13.	श्री टी.के कौल	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्यों से खेद-पत्र प्राप्त हुए थे:

1. प्रो. अतुल शर्मा
2. प्रो. ए.एन. राई
3. प्रो. वी .एस प्रसाद
4. डा. (श्रीमती) किरण दतार
5. डा. सोहेल फिरदौस

अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने विशेषकर डा0 नवल किशोर पासवन का स्वागत किया, जो कि सबसे वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में बैठक में पहली बार भाग ले रहे थे । उन्होंने डा0 सुबीर मुखोपाध्याय का भी स्वागत किया, जिन्होंने भौतिक विज्ञान स्कूल के डीन के रूप में अपनी क्षमता में कार्यकारी परिषद में कार्यभार ग्रहण किया था । पूर्व में वे सबसे वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर की क्षमता में कार्यकारी परिषद के सदस्य थे । अध्यक्ष ने यह भी कहा कि डा0 सोहेल फिरदौस को उनकी मानरव विज्ञान के डीन की क्षमता में कार्यकारी परिषद में नामित किया गया था एवं अनुपस्थित हेतु उन्हें छुट्टी प्रदान की गई थी, क्योंकि वे स्टेशन से बाहर थे ।तत्पश्चात कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ की गई ।

भाग - 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.स 19.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 दिसम्बर 2013 को आयोजित18व बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 दिसम्बर 2013 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 16.12.2013 को सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था । परिषद के किसी भी सदस्य से कोई अभ्युक्ति प्राप्त नहीं हुई थी । अध्यक्ष ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव रखा ।

एक सदस्य ने शिक्षक के पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च अनुभव में विस्तार का मुद्दा उठाया, जो कि उनके स्टेज -I से स्टेज - II एवं इसके ऊपर की पदोन्नतियों के लिए उनके आवेदनों पर विचार करने के संबंध में रखा गया है । उन्हें सूचित किया गया कि कार्यकारी परिषद ने अपनी 18वीं बैठक के अंतर्गत मद संख्या 5 (xi) में शिक्षकों के पोस्ट डाक्टोरल अनुभव पर सिर्फस्टेज -I एवं स्टेज - II में ही विचार करने का निर्णय लिया गया है । अत: इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है ।

कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 दिसम्बर 2013 को आयोजित 18 वीं बैठक के कार्यवृत्त के तत्पश्चात पुष्टि कर ली गई ।

ई.स 19.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 दिसम्बर 2013 को आयोजित18व बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

रजिस्ट्रार ने मदसूची कागजातों के अनुलग्नक -2 में यथा वर्णित अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत किया । परिषद ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया ।

भाग -2

रिपोर्टिंग मदें

ई.स 19.2.1: विश्वविद्यालय का द्वितय दीक्षांत समारोह

अध्यक्ष ने परिषद को विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के संबंध में सूचित किया, जो कि कुलपति द्वारा समारोह की अध्यक्षता के साथ दिनांक 9 मार्च 2014 को आयोजित किया गया था । सिक्किम के महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के मुख्य रेक्टर भी इसमें उपस्थित थे । दीक्षांत सम्भाषण प्रो0 मृणाल मिरि, राज्य सभा सदस्य साथ ही राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दिया गया था । 55 छात्रों को स्वर्ण पदक तथा 55 रजत पदक दिए गए थे । द्वितीय दीक्षांत समारोह में वर्ष 2010, 2011, 2012 एवं 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिग्री प्रदान की गई थी ।

ई.स 19.2.2: अन्य रिपोर्टें

अध्यक्ष ने यांग्यांग स्थित कैंपस के बाउन्ड्री वाल के निर्माण में हुई प्रगति के बारे में बतलाया, जिसे सिक्किम सरकार को निर्माण हेतु जमा कार्य के रूप में सौंपा गया था। उन्होंने कैंपस विकास हेतु आर्किटेक्चरल फर्मों के चयन एवं संकाय सदस्यों के चयन हेतु 19 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2014 तक आयोजित परिषद ने सभी रिपोर्टों को नोट किया ।

भाग -3

संपुष्टि हेतु मामले

<u>ई.स 19.3.1: विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एम ओ यू</u>

i. **कोलरैडो युनिवर्सिटी के रिजेंट्स, एक बाड कार्पोरेट एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के बच समझदारी, सहकारिता एवं अनुबंध का ज्ञापन**
ii. **युनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी (यू ओ एच), फीनलैंड एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ समझदारी, सहकारिता एवं अनुबंध का ज्ञापन**

iii. **इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आई स□ डब्ल्यू ए), नई दिल्ली एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सहकारिता ज्ञापन**

iv. **सर एम व□ आई टी, बंगलो के साथ अनुबंध ज्ञापन**

v. **सिक्किम विश्वविद्यालय एवं ब□ ए ब□ आई, इंग्लैंड के ब□च सहभागिता अनुबंध**

इन अनुबंधों में संलग्न विभिन्न मुद्दें पर विचार-विमर्श करने के बाद परिषद ने सलाह दी कि आनुवांशिक सामग्रियों की साझेदारी के संबंध में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए । यह भी सूचित किया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आनुवांशिक रूप से संवेदनशील सामग्रियों की प्रतिरक्षा के लिए किसी विदेशी संगठन के साथ हस्ताक्षरित किए जाने योग्य एक माडल अनुबंध तैयार किया गया है । चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

i. विश्वविद्यालय प्रत्येक एम ओ यू हेतु नोडल व्यक्तियों की नियुक्ति करे, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एम ओ यू की गतिविधियों का मानिटरन करेंगे तथा एम ओ यू के अनुपालन में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट देंगे ।

ii. विश्वविद्यालय द्वारा अब तक हस्ताक्षरित सभी एम ओ यू की समीक्षा सिमति द्वारा करवाई जाए, जिसमें सभी डीन, नोड अधिकारीगण, एक आई पी आर विशेषज्ञ एवं एक विधि विशेषज्ञ संलग्न होंगे । समीक्षा की रिपोर्ट कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

iii. सुषुप्त पड़े कुछ एम ओ यू को जागृत किया जाएगा ।

iv. आनुवांशिक सामग्रियों की साझेदारी में विशेषकर यू एस ए में आधारित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं अन्य निजी संस्थानों के साथ, विशेष ध्यान रखा जाएगा ।

vi. **यू ज□ स□ के साथ फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम के अंतर्गत समझदारी का ज्ञापन**

कार्यकारी परिषद ने यू ज□ स□ के साथ फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम के संबंध में एम ओ यू की संपुष्टि की ।

भाग -4

प्राधिकारियों/समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त

ई.स□ 19.4.1: भवन निर्माण समिति की दिनांक 18 फरवरी 2014 को आयोजित 4थ□ बैठक के कार्यवृत्त

रजिस्ट्रार ने भवन निर्माण समिति की 4थी बैठक का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें अल्पसूचीकृत कंपनियों को आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात एक वित्तीय बोली प्रस्तुत करने को कहा गया था । भवन निर्माण समिति द्वारा वित्तीय बोलियों के प्रस्तुतीकरण हेतु अल्पसूचीकृत 7 आर्किटेक्चरल कंपनियों में से अधोलेखित आर्किटेक्चरल फर्मों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया:

1. सुरेश गोयल एवं एसोसिएट्स
2. डी डी एफ कंसलटेंट्स प्रा0 लि0
3. डवलपमेंट आर्किटेक्ट्स प्रा0 लि0
4. एनार्क कंसलटेंट्स (प्रा0) लि0
5. मुकेश एवं एसोसिएट्स
6. आर्क एन डिजाइन

सिक्का एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स ने प्रस्तुतीकरण में भाग नहीं लिया । भवन निर्माण समिति ने अपने पूर्ववर्ती बैठक में 70% भारिता प्रस्तुतीकरण एवं 30 % भारित वित्तीय बोली के प्रति दिए जाने को अंगीकृत किया गया था।प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन निम्नलिखित पैरामीटरों, प्रत्येक के विरूद्ध दर्शाए गए अंक के साथ किया गयाथा:

	पैरामाटर	अंक
1.	डिजाइन एसेंस	21
2.	ग्रीन आर्किटेक्चर पर केंद्रित	18
3.	तकनीकी दृढ़तादृढ़ता - संरचना/भूंकपरोधी, आदि	15
4.	नवोचार प्रौद्योगिकी मध्यस्थाएं	16
	कुल	740

फर्मों में से प्रत्येक के विरूद्ध समेकित प्राप्तांक एवं छः आर्किटेक्चरल फर्मों में से प्रत्येक की 70 प्रतिशत में भारिता निम्नानुसार थे:

क्र.सं.	फर्म का नाम	समेकित प्राप्तांक	भारिता
1.	मुकेश एवं एसोसिएट्स	518	70.00
2.	डवलपमेंट आर्किटेक्ट्स प्रा0 लि0	475	64.68
3.	सुरेश गोयल एवं एसोसिएट्स	457	61.75
4.	डी डी एफ कंसलटेंट्स प्रा0 लि0	430	58.10
5.	आर्क-एन डिजाइन	402	54.32
6.	एनार्क कंसलटेंट्स (प्रा0) लि0	388	52.43

सभी छः फर्मों ने अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की, जिन्हें भवन निर्माण्ध समिति के सभी सदस्यों तथा फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया तथा इन पर 30 में से भारिता प्रदान की गई थी ।

प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय बोली हेतु प्राप्त अंको के आधार पर, एक समेकित रिपोर्ट निम्नानुसार थी, जिनमें योग्यता के आधार पर 100 अंकों में प्राप्त कुल अंको का उल्लेख किया गया है:

क्र. सं.	फर्म का नाम	70 में से	30 में से	100 में से कुल अंक
1.	मुकेश एवं एसोसिएट्स	70.00	16.80	86.80
2.	डी डी एफ कंसलटेंट्स प्रा0 लि0	58.10	27.99	86.09
3.	एनार्क कंसलटेंट्स (प्रा0) लि0	52.43	30.00	82.43
4.	सुरेश गोयल एवं एसोसिएट्स	61.75	20.16	81.91
5.	आर्क-एन डिजाइन	54.32	24.19	78.51
6.	डवलपमेंट आर्किटेक्ट्स प्रा0 लि0	64.68	10.00	74.68

भवन निर्माण समिति द्वारा रजिस्ट्रार, सलाहकार (वित्त) एवं श्री नीरज प्रधान,अधीक्षण इंजीनियर, बी एवं एच डी, सिक्किम सरकार को सम्मिलित कर एक उप समिति का गठन की अनुशंसा की, जो कि मेसर्स मुकेश एवं एसोसिएट्सप्रा0 लि0 एवं एनार्क कंसलटेंट्स (प्रा0) लि0 के साथ वित्तीय बोली के संबंध में बातचीत करेगी।

कार्यकारी परिषद ने चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया:

1. विश्वविद्यालय ऐसी परियोजनाओं के लिए क्रमश: तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली हेतु प्रदत्त 70-30 भारिता के की विधिक युक्ति युक्तता की जांच करे ।
2. भवन निर्माण समिति द्वारा गठित उप-समिति शीर्ष 3 आर्किटेक्चरल फर्मों के साथ बातचीत करें, जिन्होंने तकनीकी बोली में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात मुकेश एवं एसोसिएट्स, डवलपमेंट आर्किटेक्ट्स प्रा0 लि0 एवं मेसर्स सुरेश गोयाल एवं एसोसिएट्स, जिसमें उनके वित्तीय बोली पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया जाए तथा उप-समिति की अनुशंसा भवन निर्माण समिति को उनके विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाए।

भवन निर्माण समिति के निर्णयों में उपरोक्त संशोधन के साथ, कार्यकारी परिषद ने भवन निर्माण समिति की दिनांक 18 फरवरी 2014 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।

भाग -5

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ मदें

ई.स 19.5.1: कार्यकारी परिषद के बैठकों के लिए विनियमावली

रजिस्ट्रार ने इस मद को प्रस्तुत किया । उन्होंने सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियमएवं सांविधियों में विद्यमान, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों में अपनाई जाने वाली पद्धतियों , कोरम निर्माण हेतु वांछित सदस्यों की संख्या, बैठक की तारीख एवं स्थान हेतु सदस्यों को सूचना दिए जाने के लिए विनियमावली को निर्मित करने सें संबंधित प्रावधानों के बारे में सूचित किया । उन्होंने यह भी सूचित किया कि कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कार्यकारी परिषद की बैठकों को संचालित करने की विनियमावली भी प्राप्त की गई है।

कार्यकारी परिषद की बैठकों को संचालन हेतु विनियमावली, जैसा की मदसूची टिप्पणियों के अनुलग्नक-4 में प्रस्तुत किया गया है, खंड वार पढ़ा गया । परिषद ने कार्यसूची टिप्पणी के अनुलग्नक - 4 में यथाप्रस्तुत विनियमावली का खंड-5 में संशोधन के साथ अनुमोदन किया । खंड - 5 की निम्नानुसार पुर्नलेखन किया गया:

“5*रजिस्ट्रार द्वारा कार्यकारी परिषद की कोई विशेष बैठक उस दिन को आयोजित की जा सकती है, जिसका निर्धारण उपकुलपति के परामर्श से किया गया हो, यदि इस प्रकार का कोई अनुरोध कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 से अधिक द्वारा लिखित रूप में प्राप्त हुआ हो । ऐसी विशेष बैठक बुलाने के इच्छुक सदस्यों को कार्यसूची मद(ओं) का उल्लेख करना होगा , जो कि वे बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं, साथ ही विशेष बैठक में सिर्फ उन्हीं मद(ओं) पर विचार किया जाएगा ।*

बशर्तें कि कोई विशेष बैठक तब तक आयोजित नहीं की जाएगी , जब तक कि वे सभी सदस्यगण, जिन्होंने बैठक की मांग की है, उपस्थित हों । आगे यह भी शर्त है कि यदि ऐसी किसी बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है, तो इसे रद्द किया गया माना जाएगा ।

ई.स 19.5.2: कोर्ट कें संघटन पर सांविधि के प्रति ड्राफ्ट संशोधन

रजिस्ट्रार ने इस मद को प्रस्तुत किया तथा कार्यकारी परिषद को सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम में कोर्ट के संघटन, इसके सदस्यों के कार्यालय, कार्यकाल, सांविधियों के माध्यम से कर्तव्य एवं अधिकार के प्रावधानों के बारे में सूचित किया । यद्यपि, संगत

सांविधि में कोर्ट के संघटन एवं सदस्यों के कार्यालयी कार्यकाल के संबंध में कुछ वर्णित नहीं है । अत: कोर्ट के संघटन एवं इसकी बैठकों पर कार्यसूची टिप्पणियों के अनुलग्नक - 5 में यथा प्रस्तुत ड्राफ्ट सांविधि को खंड-वार पढ़ा गया ।

कार्यकारी परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात कोर्ट की बैठक पर सांविधि-10 के प्रति निम्नलिखित संशोधनों के साथ ड्राफ्ट संशोधनों का अनुमोदन किया:
पदेन सदस्यों के अंतर्गत खंड 1 (vii): "परीक्षा नियंत्रक को सम्मिलित किया जाएगा"

संबद्धन योग्य महाविद्यालयों के प्रतिनिधित्व के अंतर्गत खंड 1 (xv): "महाविद्यालयों के चार प्राचार्यों को उनके वरिष्ठता के आधार पर बारी बारी से, जिसका निर्धारण संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा, उपकुलपति द्वारा नामित किए जाने योग्य"

खंड 1 (vi) : "उपकुलपति द्वारा नामित किए जाने योग्य संबद्ध महाविद्यालयों से चार शिक्षकगण"

छात्रों के प्रतिनिधित्व के अंतर्गत खंड 1 (xix) : "उपकुलपति द्वारा चार छात्र नामित किए जाएंगें"

खंड 2 (iii) : पदेन तथा वे सदस्यगण जो खंड -1 के उप खंड (x) (xi) एवं (xii) के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं, एवं छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों को छोड़कर कोर्ट के सभी सदस्यगण तीन वर्षों के कार्यकाल हेतु कार्यालय का धारण करेंगे ।

परिषद ने सांविधि 10 के वर्तमान खंडो 1 से 5 को खंड 3 से 7 के रूप में पुन: संख्याकृत करने का भी अनुमोदन किया । परिषद ने आगे निर्देश दिया कि सांविधि 10 के लिए विजिटर की सहमति प्राप्त की जाए ।

ई.स 19.5.3: विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापनों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों के लिए प्रतिधारण अवधि

कार्यकारी परिषद ने किसी पद (सांविधिक साथ ही शिक्षण एवं गैर शिक्षण) के प्रति नियुक्ति हेतु विज्ञापनों के विरूद्ध प्राप्त पुराने आवेदन-पत्रों की, कार्यकारी परिषद/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की प्रतिधारण अवधि का निर्धारण करके, निम्नलिखित शर्तों पर छंटाई हेतु नीति का अनुमोदन किया, कि:

i. नियुक्ति के विरूद्ध कोई कोर्ट मामला नहीं है ।
ii. नियुक्ति हेतु पैनल समाप्त अथवा अवसित हो गया है ।
iii. आवेदनों का निपटान सिर्फ गैर चयनित मामलों के लिए है ।

ई.स 19.5.4: आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की भर्ति के माध्यम में परिवर्तन

कार्यकारी परिषद ने आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की भर्ति के माध्यम में वर्तमान "प्रतिनयुक्ति पर" से "प्रतिनियुक्ति/लिइन/संवीदा आधार पर" के परिवर्तन का अनुमोदन किया ।

ई.स 19.5.5: विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति

अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद को सूचित किया कि सहायक के दो पदों के लिए अंतर्वार्ता 9 दिसंबर 2013 को आयोजित की गई थी । शिक्षण पदों के लिए, विज्ञापित 132 पदों में से

सिर्फ 92 पदों के लिए अल्पसूचीकरण किया गया है, जिनके लिए अंतर्वार्ता 19 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2014 तक आयोजित की गई , जिसमें अध्ययन के सभी छ: स्कूलों से संबंधित हैं । अध्ययन के पांच स्कूलों के लिए अंतर्वार्ताएं, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में , जबकि सामाजिक विज्ञान स्कूल के अंतर्वार्ता, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी में 24 से मार्च 2014 तक, आगन्तुक नॉमिनी के स्वास्थ्य कारण से संचालित की गई थी ।

कार्यकारी परिषद ने सभी चयन समिति कार्यवाहियों का अनुमोदन किया, जिसका विवरण निम्नानुसर दिया गया है:

गैर शिक्षण पद

1. सहायक

यू आर

तेंजिन छोदेन भुटिया (एस टी)

प्रतीक्षा सूची - 2

ओ बी सी

प्रभा मुखिया

प्रतिक्षा सूची - 2

शिक्षण पदें

ए. भाषाएं एवं साहित्य स्कूल

1. चीनी भाषा विभाग

सहायक प्रोफेसर

यू आर

मोरोन्ती बरूआ (यू आर/पी डब्ल्यू डी)

प्रतीक्षा सूची - 1

2. नेपाली भाषा विभाग

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

पुष्पा शर्मा

3. अंग्रेजी विभाग

प्रोफेसर

यू आर

ईर्शाद गुलाम अहमद(यू आर/पी डब्ल्यू डी)

प्रतीक्षा सूची - 1

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

जयिता सेनगुप्ता

प्रतीक्षा सूची -1

सहायक प्रोफसर

एस सी

सास्वती साहा

प्रतीक्षा सूची -1

एस टी

अब्रोना लीपांडी अदेन

प्रतीक्षा सूची -1

ओ बी सी

राम बी यादव

4. **हिंदी विभाग**

प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

ओ बी सी

दिनेश साहू

प्रत□क्षा सूच□ -1

यू आर

सतय प्रकाश तिवारी

प्रतीक्षा सूची -1

बा. **व्यवसायिक अध्ययन स्कूल**

1. **वाणिज्य विभाग**

प्रोफेसर

यू आर

देवब्रत मित्रा

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

वंगपाण्डु रामा देवी

सुधांशु शेखर महापात्र

सहायक प्रोफेसर

ओ ब□ स□

बी माथु पांडियन

यू आर

जयदीप विश्वास

राकेश बस्नेत

प्रतीक्षा सूची -1

2. **जन संचार विभाग**

एसोसिएट प्रोफसर

यू आर

शिलाज□त गुहा

सहायक प्रोफेसर

ओ ब□ स□

निहारिका बुढ़ा गुहाई

3. **प्रबंधन विभाग**

प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

व□ रामा देव□

प्रत□क्षा सूच□ -1

कृष्ण मुरारी

यु आर

अचंत रवि प्रकाश

4. <u>संग□त विभाग</u>

सहायक प्रोफेसर

ओ ब□ स□

संतोष कुमार (फ्लूटिस्ट ओ ब□ स□/5)

5. <u>शिक्षा विभाग</u>

सहायक प्रोफेसर

एस स□

अंजु वर्मा

यू आर

सुभाष मिश्रा

विमल किशोर

प्रत□क्षा सूच□ -1

6. <u>पर्यटन विभाग</u>

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

दिलीप कुमार दास

सहायक प्रोफेसर

एस स□

सौमेंद्र नाथ विश्वास

यू आर

जिग्मे वांगचुक भुटिया

आस□ पेम पेम वांगमों

प्रत□क्षा सूच□ -2

स□. <u>ज□व विज्ञान स्कूल</u>

1. <u>वनस्पति शास्त्र विभाग</u>

एसोसिएट प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

ओ ब□ स□

एन. विजयलक्ष्म□ देव□

यू आर

अरूण छेत्र□

किरण ब□

प्रत□क्षा सूच□ -2

2. <u>बागवान□ विभाग</u>

प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

बिनु मैथ्यु

लक्ष्मण शर्मा

सहायक प्रोफेसर

यू आर

कर्मा डिकी भुटिया

प्रत□क्षा सूच□ -1

एस स□

अरिंदम बर्मन

3. माइक्रोबायोलॉज□ विभाग

एसोसिएट प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

यू आर

नागेंद्र ठाकुर

4. प्राण□ विज्ञान विभाग

एसोसिएट प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

यू आर

भोज कुमार आचार्य

एस स□

बिशु सिंह

प्रत□क्षा सूच□ - 1

ड□. भौतिक विज्ञान स्कूल

1. रसायन शास्त्र विभाग

एसोसिएट प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

यू आर

विश्वज□त गोपाल राय

प्रत□क्षा सूच□ - 1

2. कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग

सहायक प्रोफेसर

यू आर

लेखिका छेत्र□

3. भूगर्भशास्त्र विभाग

एसोसिएट प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

एस स□

वाडेकर आनंद गणपति

4. गणित विभाग

प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

एसोसिएट प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

यू आर

रिंकिला भुटिया

ओ ब□ स□

थाउडम रोशन सिंह

ई. मानव विज्ञान स्कूल

1. एन्थ्रोपोलॉज□ विभाग

प्रोफेसर

समा□ा मैत□

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

कोत्रा राइने रामा मोहन

सहायक प्रोफेसर

ओ ब□ स□

मैइबाम साइमन सिंह

प्रत□क्षा सूच□ - 1

यू आर

करिष्मा कार्थक लेप्चा

प्रत□क्षा सूच□ -1

2. मनोविज्ञान विभाग

प्रोफेसर

यू आर

हरप्र□त कौर

प्रत□क्षा सूच□ - 1

एसोसिएट प्रोफेसर

ओ ब□ स□

नूतन कुमार एस थिंगुजाम

सहायक प्रोफेसर

यू आर

सौरभ माहेश्वरी

एफ. सामाजिक विज्ञान स्कूल

1. अर्थशास्त्र विभाग

प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

एसोसिएट प्रोफेसर

ओ ब□ स□

कोमल सिंघा

यू आर

राजेश राज

प्रत□क्षा सूच□ - 1

2. समाज शास्त्र विभाग

एसोसिएट प्रोफेसर

ओ ब□स□

संध्या थापा

यू आर

स्वात□ ए सचदेवा

3. **<u>राजन□ति शास्त्र विभाग</u>**

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

दुर्गा प्रसाद छेत्र□

सहायक प्रोफेसर

ओ ब□ स□

अम□त कुमार गुप्ता

एस टी

बुद्ध बहादुर थापा

4. **<u>अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग</u>**

एसोसिएट प्रोफेसर

शून्य

5. **<u>शांति एवं संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग</u>**

प्रोफेसर

शून्य

6. **<u>विधि विभाग</u>**

प्रोफेसर

शून्य

एसोसिएट प्रोफेसर

उपयुक्त नहीं पाया गया

सहायक प्रोफेसर

ओ ब□ स□

विजय व□

प्रत□क्षा सूच□ - 1

यू आर

सोनम यांगछेन भुटिया

संग□ता राय (मैत्र)

7. **<u>इतिहास विभाग</u>**

एसोसिएट प्रोफेसर

यू आर

विजय कुमार थांगेल्लापाली

सहायक प्रोफेसर

एस टी

अन□रा फिप्पन (लेप्चा)

ओ ब□ स□

सेलिना थापा

ई.स□ 19.5.6: यू ज□ स□ द्वारा संस्व□कृत गैर-शिक्षण पदों का सृजन

अध्यक्ष ने इस मद को साराणी मद के रूप में प्रस्तुत किया तथा सदस्यों को सूचित किया कि यू जी सी द्वारा 12वीं योजना आवंटन में 73 गैर-शिक्षण पदें स्वीकृत की गई हैं ।

इनमें से सिर्फ 7 पदों को ही कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 एवं 8 दिसम्बर 2013 को आयोजित क्रमश: 17वीं एवं 18वीं बैठक में सृजित की गई है । उन्होंने यह भी सूचित किया कि वर्तमान में 69 नियमित संकाय सदस्य हैं तथा बड़ी संख्या में संवीदा/अतिथि/अनुबद्ध संकाय सदस्य हैं । करीब 60 संकाय सदस्यों की भर्ति नियमित आधार पर की जा रही है, तथा शेष रिक्त पदों पर भर्ति हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है । द्वितीयत: गत नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों की संख्या में 3.5 गुणा वृद्धि हुई है । आशा की जाती है कि अगले नामांकन चक्र में छात्रों की संख्या में और वृद्धि होगी । दैनिक प्रचालनों को सम्भालने के लिए विश्वविद्यालय यू जी सी द्वारा स्वीकृत 73 गैर शिक्षण पदों में से 28 अतिरिक्त गैर शिक्षण पदों के सृजन का प्रस्ताव कार्यसूची में प्रत्येक पदों के विरूद्ध औचित्य के साथ करता है । यह विश्वविद्यालय को इसमें पिछले 3 से 7 वर्षों से कार्यरत कुछ अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की सहायता प्रदान करेगा ।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय द्वारा सृजन हेतु कार्यसूची टिप्पणी में यथा प्रस्तावित 28 पदों का अनुमोदन किया । विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं	पद	पे बैंड	ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	सहायक	9300-34800	4200	3
2.	प्रवर श्रेण□ लिपिक	5200-20200	2400	3
3.	अवर श्रेण□ लिपिक	5200-20200	1900	2
4.	एम टी एस	5200-20200	1800	4
5.	निज□ सचिव	9300-34800	4600	2
6.	अर्ध व्यवसायिक सहायक	5200-20200	2800	1
7.	पुस्तकालय सहायक	5200-20200	2000	2
8.	पुस्तकालय परिचारक	5200-20200	1800	2
9.	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	2000	4
10.	वरिष्ठ तकन□की सहायक	9300-34800	4200	2
11.	सुरक्षा निरीक्षक	5200-20200	2800	1
12.	अवर श्रेण□ लिपिक (गेस्ट हाउस/हॉस्टल)	5200-20200	1900	2

भाग -6

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मदें

ई.स□ 19.6.1: श्र□ दिवाकर कानुनज्ञ सलाहकार(वित्त) की सेवाओं में छ: माह की अवधि के लिए वर्तमान शर्तों एवं निबंधों पर विस्तार की संपुष्टि

परिषद ने उपकुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित की गई ।

(टी.के.कॉल)
रजिस्ट्रार
सचिव

(प्रो.टी.ब□ सुब्बा)
उपकुलपति
अध्यक्ष